कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड देहरादून

आयुक्त राज्य कर मुख्यालय, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, नत्थनपुर, देहरादून

पत्रांक 9483 /आयु0रा0क0उत्तरा0/लो0सू0अनु0/2023–24/दे0दून/दि0 27/03/2024

श्री नदीम उद्दीन,
(राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता),
कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग,
अल्लीखां,
काशीपुर –244713

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रेषित अपने अनुरोध पत्र संख्या 1662 दिनांक 16.02.2024 का सन्दर्भ लें, जो इस कार्यालय में दिनांक 06.03.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें आप द्वारा बिन्दु सं0–3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। उक्त के क्रम में सूचना निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु सं0–3.1 एवं 3.2 के संबंध में राज्य कर मुख्यालय के विधि–अनुभाग, के पत्रांक 9409 दिनांक 22.03.2024 द्वारा बिन्दु सं0–3.1 एवं 3.2 के सम्बन्ध में वांछित सूचना 02 पृष्ठ में उपलब्ध करायी गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित है। (छायाप्रति संलग्न)

बिन्दु सं0–3.3 एवं 3.5 के संबंध में राज्य कर मुख्यालय के आई0टी–अनुभाग, के पत्रांक 9440 दिनांक 23.03.2024 द्वारा उक्त बिन्दु –3.1 एवं 3.2 अनुसार सूचना कुल 02 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गयी है, जिनकी सत्यापित प्रतियॉं उक्तानुसार संलग्न है । साथ ही उनके द्वारा विभागीय वैबसाइट पर सम्बन्धित सूचना का लिंक भी दिया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

www.gst.uk.gov.in/Notification.aspx

सम्बन्धित सूचना Circular no. 1297 के अन्तर्गत उक्त लिंक पर उपलब्ध है।(पत्र की प्रति संलग्न)

बिन्दु सं0–3.4 के संबंध में राज्य कर मुख्यालय के स्थापना–अनुभाग(राजपत्रित), के पत्रांक 8973 दिनांक 07.03.2024 द्वारा अवगत कराया गया है, कि **"बिन्दु सं0–3.4 से संबंधित सूचना शून्य है।"(छायाप्रति संलग्न)**

यदि आप उपरोक्त सूचना से असन्तुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर **प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी (सूचना का अधिकार), अपर आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय, देहरादून,** जिनका पता निम्नवत है, के समक्ष अपील दायर कर सकते हैंः–

अपीलीय अधिकारी का पता :–

श्री बी.एस. नगन्याल,
अपर आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय/
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी (सूचना का अधिकार),
जोगीवाला, मसूरी बाईपास रोड़, नत्थनपुर (पुलिया नं0–6) देहरादून।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(प्रीति मनराल)
उपायुक्त/लोक सूचना अधिकारी,
राज्य कर मुख्यालय, देहरादून।
मो0 7055602712

2643/2023

पत्रांकः 1297 / आयुक्त राज्य कर मुख्यालय /जी0एस0टी0 अनुभाग/2023-24/दे0दून।

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
देहरादूनः 30 मई, 2023

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) राज्य कर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) राज्य कर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (ऑडिट) राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

करदाताओं को संसूचित किये जाने वाले विभिन्न दस्तावेज/प्रपत्र जैसे नोटिस/आदेश, जीएसटी पोर्टल ("सिस्टम") के माध्यम से जनित किये जाते हैं। ऐसे अधिकांश दस्तावेज़ों/प्रपत्रों में सिस्टम जनित विशिष्ट पहचानकर्ता DIN (दस्तावेज़ पहचान संख्या)/RFN (संदर्भ संख्या) होता है। सिस्टम द्वारा जनित होने के आधार पर, इन समस्त दस्तावेजो को पोर्टल पर करदाता के द्वारा अपने dashboard पर देखा जा सकता है। करदाताओं के लिए ऐसे स्वत: जनित (auto generated) RFN (संदर्भ संख्या) के माध्यम से उनकी वैधता को सत्यापित करने की सुविधा विकसित की जा रही है।

2. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, राज्य कर प्राधिकारियों द्वारा दस्तावेज संदर्भ संख्या (RFN) जनित करने और करदाता द्वारा इनके सत्यापन की सुविधा जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गई है। इस सुविधा के अंतर्गत, कर प्राधिकारी द्वारा किसी भी ऐसी संसूचना के लिए RFN सृजित किया जा सकता है, जो सिस्टम द्वारा जनित नहीं है और करदाता को संसूचित किया जाना है। उक्त दस्तावेज़/संसूचना को संदर्भ संख्या (RFN) का उपयोग करके करदाता द्वारा मान्य (पूर्व-लॉगिन और पोस्ट- लॉगिन) किया जा सकता है।

3. RFN सृजित करने के लिए, कर प्राधिकारी को BO वेब पोर्टल पर Services > RFN Generation पर जाना होगा, जिसके उपरान्त RFN Generation पेज प्रदर्शित होगा। इस पेज पर प्रदर्शित विभिन्न fields में उपयुक्त विवरण दर्ज करते हुए Generate RFN बटन पर क्लिक करके RFN जनित किया जा सकता है। इस RFN का उल्लेख करदाता को प्रेषित किये जाने वाले पत्र में किया जाएगा।

(रंजीत सिंह नेगी)
सहायक आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून

/22643/2023

4. इसी प्रकार कर प्राधिकारी द्वारा पूर्व में सृजित RFN को ज्ञात करने के लिए RFN Generation पेज पर Search RFN सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

5. करदाताओं को इस प्रकार सृजित RFN को, पूर्व-लॉगिन और पोस्ट-लॉगिन, सत्यापित करने की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिसके लिए वे Services> User Services> Verify RFN विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

6. उपरोक्त सुविधा Model-2 राज्य के कर प्राधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए विकसित की गयी है। करदाताओं के साथ किये जाने वाले समस्त ऑफ-लाइन (Offline) पत्राचार के लिए इस सुविधा का उपयोग किये जाने के निर्देश दिए जाते हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है संदर्भित अनुदेशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा करदाताओं को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 22-05-2023 18:43:26

(डॉ अहमद इकबाल)
आयुक्त राज्य कर
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0/ 1297 **/ दिनांक:: उक्तवत।**

प्रतिलिपि:

1. एडिशनल कमिश्नर (वि0वे0) राज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
2. समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर राज्य कर, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
3. एडिशनल कमिश्नर (ऑडिट) राज्य कर, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।

आयुक्त राज्य कर
उत्तराखण्ड।

(रंजीत सिंह नेगी)
सहायक आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून